

प्रेस नोट दिनांक-30.04.2025 जनपद प्रतापगढ़

धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत की गई कार्रवाई के तहत गैंगलीडर गुलशन यादव के विरुद्ध कठोर कदम उठाते हुए माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा लम्बरी वाहन, आवासीय जमीन तथा बैंक खाता कुर्क करने का आदेश जारी किया गया-

थाना कुण्डा के गैंगलीडर द्वारा आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति/ आवासीय जमीन का मूल्य सात करोड़ पन्दह हजार पांच सौ दो रुपये को कुर्क करने का आदेश जारी -

अभियुक्त/ गैंगलीडर गुलशन यादव पर जनपद में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, गुण्डा, आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधि0 व गैंगस्टर जैसे 53 अभियोग हैं दर्ज

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कुण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-291/2014 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त/ गैंगलीडर गुलशन यादव पुत्र स्व0 सुन्दरलाल यादव निवासी मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के आपराधिक कृत्य कारित करके अवैध स्रोतों से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद प्रतापगढ़ द्वारा चल- अचल सम्पत्ति/ आवासीय जमीन मूल्य-7,00,15,502.33/-रुपये को तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश प्रदान हुआ है।

अभियुक्त / गैंगलीडर गुलशन यादव पुत्र स्व0 सुन्दरलाल यादव निवासी मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 326 / 98, धारा-386, 506 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 16 / 2003, धारा 302, 34, 506, 120बी भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0- 42/2007 धारा-110 सीआर.पी.सी., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0- 120/2007 धारा 147, 148, 149, 342, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0- 130/2007 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0- 131 / 2007 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0- 132/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0- 133/2007 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि०, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0- 199 / 2007, धारा 147, 148, 504, 506 भा.द.वि., थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0- मु.अ.सं.- 237/2007 धारा-3 (1) गुण्डा एक्ट, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0- 112/2008 धारा-2 / 3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0- 97 / 2009, धारा-110जी सीआर.पी.सी., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0- 685 / 2009, धारा-120बी / 363, 147, 148, 323, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए एक्ट व 3 (1) एससीएसटी एक्ट, थाना सोरांव, प्रयागराज

14. मु0अ0सं0- 699/2009, धारा-352, 504, 506 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0- 742/2009, धारा - 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट व 3 (1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि०, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0- 41 / 2010, धारा-323, 504, 506 भा.द.वि. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
17. मु0अ0सं0- 61/2010, धारा 147, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सीएलए ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
18. मु0अ0सं0- 125/2010, धारा-188, 448, 332, 353, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
19. मु0अ0सं0- 132/2010, धारा-110जी सीआर.पी.सी., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
20. मु0अ0सं0- 229 / 2010, धारा 307, 504 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
21. मु0अ0सं0- 270 / 2010, धारा-286, 323, 504, 506 भा.द.वि. व 4/5 विस्फोटक अधि०, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
22. मु0अ0सं0- 287/2010, धारा 147, 148, 332, 448, 452, 504 भा.द.वि., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
23. मु0अ0सं0- 179/2011 धारा-2 / 3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि०, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
24. मु0अ0सं0- 241/2011, धारा - 3 (2) गुण्डा ऐक्ट, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
25. मु0अ0सं0- 277 / 2011 धारा-110जी सीआर.पी.सी., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
26. मु0अ0सं0- 44 / 2012, धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा.द.वि. व लोकप्रति०अधि०, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
27. मु0अ0सं0- 106/2012, धारा-307, 323, 504, 506, 427 भा.द.वि., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
28. मु0अ0सं0- 21/2013, धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 भा.द.वि. व 7 सी.एल.ए ऐक्ट, थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ़।
29. मु0अ0सं0- 226/2014, धारा 147, 148, 149, 332, 353, 504, 506, 323, 186 भा.द.वि. व 7 सीएलए ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
30. मु0अ0सं0- 247/ 2014, धारा 307, 504 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
31. मु0अ0सं0- 291/2014, धारा-2 / 3 उ0प्र0 गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
32. मु0अ0सं0- 322/2014, धारा-364 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
33. मु0अ0सं0- 491/2017 धारा 504, 507 भा.द.वि. 3 (1) 10 एससीएसटी ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
34. मु0अ0सं0- 71/2019, धारा-341, 504, 506, 147, 148, 307 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
35. मु0अ0सं0- 108/2019, धारा-448, 427, 379 भा.द.वि. व 2 / 3 लो०स०क्षतिनिवा०अधि०, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
36. मु0अ0सं0- 620/2021, धारा 504, 506 भा.द.वि. व 3 (1) द 3 (1)ध व 3 (2) 5एस एससीएसटी ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
37. मु0अ0सं0- 27 / 22. धारा-110जी सीआर.पी.सी. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

38. मु0अ0सं0- 41 / 2022 धारा-188, 279 270, 505 भा.द.वि. व 125 लोक प्रति० अधि०, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
39. मु.अ.सं. - 61/ 2022 धारा-188, 279 270 भा.द.वि. व 2 महामारी अधि०, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
40. मु0अ0सं0- 75 / 2022 धारा-395, 147, 452, 504, 506 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
41. मु0अ0सं0- 153 / 2022 धारा 323, 325, 341, 504, 506 भा.द.वि. व 3 (1) द, 3 (1)ध व 3 (2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, थाना हथिंगवा जनपद प्रतापगढ़।
42. मु0अ0सं0- 121 / 2023 धारा-395, 452, 323, 354ख, 504, 506 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
43. मु0अ0सं0- 143/2023 धारा-171डी, 188 भा.द.वि., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
44. मु0अ0सं0- 635 / 2023 धारा-386, 506 भा.द.वि., थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
45. मु0अ0सं0- 306 / 2023 धारा-147, 148, 149, 323, 504, 506, 386, 120बी भा.द.वि., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
46. मु0अ0सं0- 314 / 2023 धारा-409, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा.द.वि., थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
47. मु0अ0सं0- 398 / 2023 धारा-341, 504, 506 भा.द.वि. व 3 (1) द, 3 (1) ध व 3 (2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
48. मु0अ0सं0- 53/2023 धारा-110जी सीआर.पी.सी., थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
49. मु0अ0सं0- 187/2024 धारा-111, 12, 329 (3) 222, 303 (2) बी. एन. एस. थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
50. मु0अ0सं0- 188/2024, धारा-192 (2), 191 (3), 115 (2), 352, 351 (2), 140 (1) 62 3 (2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, व 3 (1) द, 3 (1)ध, व 3 (2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
51. मु0अ0सं0- 259 / 2024 धारा-329 (3) 303 (2) 111, 112 बी. एन. एस. थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
52. मु0अ0सं0- 275/2024, धारा-352 बी. एन. एस. व 3 (1) द, 3 (1)ध, 3 (2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
53. मु0अ0सं0- 295 / 2024 धारा-386, 406, 419, 420, 467, 468, 471 504, 506 भा.द.वि. व 3 (1) द, 3 (1)ध, 3 (2) 5ए एससीएसटी ऐक्ट, थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

नोट- प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पेशेवर एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने हेतु ऐसे तत्वों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में जिनके विरुद्ध प्रमाणित रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें संपत्ति कुर्की, गिरफ्तारी, निरोधात्मक कार्रवाई एवं अन्य दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को कानून का भय बना रहे और आम नागरिक शांति व सुरक्षा के वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि यदि उन्हें किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की सुरक्षा में सभी की भागीदारी आवश्यक है।

थाना कोतवाली नगर-

बीट मुख्य आरक्षी के सर्तकता से 02 अंतर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
थाना कोतवाली नगर के मुख्य आरक्षी वसीम अहमद ने अंतर्जनपदीय गैंगस्टर अभियुक्तों पर कसा शिंकजा
मुख्य आरक्षी वसीम अहमद ने साये की तरह विछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना कोतवाली नगर के मुख्य आरक्षी वसीम अहमद को प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रविष्टि हेतु दिये गये निर्देश

थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत भूपियामऊ पुल के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अंतर्जनपदीय अभियुक्त गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट जैसे गम्भीर उपराध में संलिप्त हैं

जनपद में अपराध नियंत्रण/संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।*इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर के बहादुर मुख्य आरक्षी वसीम अहमद के सहयोग से आज दिनांक 29.04.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 187/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली नगर में 02 अंतर्जनपदीय वांछित अभियुक्तों 1. राजकुमार प्रजापति उर्फ झुल्लु पुत्र हरी लाल प्रजापति निवासी ग्राम गद्धोपुर थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष 2. संजीत कनौजिया उर्फ माही पुत्र अशोक कनौजिया निवासी ग्राम गद्धोपुर थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष को थानाक्षेत्र कोतवाली नगर के भूपियामऊ चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- राजकुमार प्रजापति उर्फ झुल्लु पुत्र हरी लाल प्रजापति निवासी ग्राम गद्धोपुर थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष
- 2- संजीत कनौजिया उर्फ माही पुत्र अशोक कनौजिया निवासी ग्राम गद्धोपुर थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज उम्र करीब 28 वर्ष

1-राजकुमार प्रजापति उर्फ झुल्लु पुत्र हरी लाल प्रजापति निवासी ग्राम गद्धोपुर थाना फाफामऊ, जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 63/21 धारा 188, 269, 270 भादवि थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज
2. मु0अ0सं0 66/22 धारा 279, 304ए भादवि थाना कीड़गंज जनपद प्रयागराज
3. मु0अ0सं0 188/23 धारा 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

4. मु0अ0सं0 187/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

2-संजीत कनौजिया उर्फ माही पुत्र अशोक कनौजिया निवासी ग्राम गदोपुर थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज
उम्र करीब 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 566/18 धारा 279, 304ए, 337, 338, 427 भादवि थाना सोरांव जनपद प्रयागराज
2. मु0अ0सं0 188/23 धारा 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 187/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर-

बीट आरक्षी सुनील यादव की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
थाना लीलापुर के बीट आरक्षी सुनील यादव ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
बीट आरक्षी सुनील यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना लीलापुर के बीट आरक्षी सुनील यादव को दिया
जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना लीलापुर पुलिस द्वारा थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिराहे के पास से गैंगस्टर 01 अभियुक्त को
गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को
मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट आरक्षी सुनील यादव के सहयोग से थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-32/25
धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त संदीप विश्वकर्मा पुत्र
राममुरत विश्वकर्मा उर्फ रामसुरत विश्वकर्मा निवासी रामपुर सुवरी खरका थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को
आज दिनांक 30.04.2025 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत हण्डौर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- 1- संदीप विश्वकर्मा पुत्र राममुरत विश्वकर्मा उर्फ रामसुरत विश्वकर्मा निवासी रामपुर सुवरी खरका थाना
जलालपुर जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 292/24 धारा 109/191(2)/191(3)/190/319(2)318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व
3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण संशोधन अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर
जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-32/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ० नि० रिजवान खान मय हमराह आरक्षी अनी कुमार द्वारा दिनांक 30.04.2025 को रोकथाम जुर्म जरायम में देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मान्धाता में पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 37/2025 धारा137(2)/87/ 64(1) बीएनएस एवं 5L/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 बाल अपचारी को प्राथमिक पाठशाला भगवतगंज बाजार के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- 01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण-

उ० नि० रिजवान खान मय हमराह आरक्षी अनी कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी 12 बोर, 01 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 मिस फायर कारतूस 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शीतलमऊ से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वक्षण में थाना लालगंज प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 30.04.2025 को थाना लालगंज के उ०नि० दीपक कुमार यादव मय हमराह कां० ऋषिराज यादव, कां० माधवेश राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शीतलमऊ से 01 अभियुक्त सुधीर तिवारी पुत्र रामनारायण तिवारी निवासीग्राम पाण्डेय बाबा थाना मोतीगरपुर जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध अवैध 01 तमंचा देशी 12 बोर, 01 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 मिस फायर कारतूस 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया । उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना लालगंज पर मु०अ०सं० 156/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सुधीर तिवारी पुत्र रामनारायण तिवारी निवासीग्राम पाण्डेय बाबा थाना मोतीगरपुर जनपद सुल्तानपुरा

बरामदगी-

अवैध 01 तमंचा देशी 12 बोर, 01 जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 मिस फायर कारतूस 12 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह कां0 ऋषिराज यादव, कां0 माधवेश राय थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना महेशगंज-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

लूट के अभियोग से संबंधित लूट का 01 मोबाइल व 01 तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार -

थाना महेशगंज पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा 03 अभियुक्तों को ग्राम रघुनाथपुर अण्डरपास वहद ग्राम झींगुर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

थाना महेशगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 03 अभियुक्तों को लूट के 01 मोबाइल व 01 तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण-

दिनांक- 19/04/2025 को वादी अपने मोटर साइकिल से डीजल लेकर हीरागंज से चपंतपुर जा रहा था। आरोपीगणों द्वारा वादी को चपंतपुर मोड़ के पास मारने पीटने लगे व मोबाइल व रुपये लूट कर फरार हो गये थे । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 75/2025 धारा 309 (6) बीएनएस बनाम 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात मोटर साइकिल सवार का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में आज दिनांक 30.04.2025 को ASP(W) श्री संजय राय व CO सदर श्री करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना महेशगंज थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज के मु0अ0सं0 75/2025 धारा 309 (6) / 317 (2) BNS व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस से संबंधित 1- सोहराब अली पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- अनुज धुरिया पुत्र जीतलाल धुरिया निवासी जुड़ापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 3- सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल निवासी महमदपुर चारपुरा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को लूट के लूट के 01 मोबाइल व 01 तमंचा 315 बोर, 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत रघुनाथपुर अण्डरपास वहद ग्राम झींगुर के पास से गिरफ्तार किया गया । उक्त मोटर साइकिल को सीज किया गया ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग आपस में दोस्त हैं। हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है। जिसके कारण हम लोग योजना बनाकर रात के समय सुनसान रास्तों पर आने जाने वाले राहगीरों के साथ लूट की घटना को अंजाम देते हैं। लूट के पैसों से अपना शौक पूरा करते हैं। अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। दिनांक 19/04/2025 को योजना बनाकर हम लोग घर से निकले और धमोहन गाँव तथा लोदीपुर गाँव के बीच में चम्पतपुर मोड़ के पास एक राहगीर जो कि मो0सा0 से जा रहा था। उसका सफेद अपाची से पीछा करके उसको तमन्चा सटाकर एवं मारपीट करके उससे एक एन्ड्रायड मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी का व 500 रुपये नगद लूटे थे। लूटे हुए पैसे खाने पीने में खर्च हो गये।

बरामदगी-

लूट के 01 मोबाइल व 01 तमन्चा 315 बोर, 04 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- सोहराब अली पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेला थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 2- अनुज धुरिया पुत्र जीतलाल धुरिया निवासी जुड़ापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
- 3- सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल निवासी महमदपुर चारपुरा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 सुनील कुमार, उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 शिवा प्रजापति, हे0का0 शिवेन्द्र सिंह, चालक का० सुमित सिंह, का० विशाल यादव व पीआरडी तीरथराज व चालक पीआरडी ऋषिकुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम-

उ0नि0 दिनेश सिंह मय हमराह हे0का0 धनंजय कुमार राय, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 अरविन्द दुबे व सर्विलांस सेल के का0 प्रवीन कुमार चालक हे0का0 राजेन्द्र प्रसाद।

थाना पट्टी-

बीट मुख्य आरक्षी ऊधम सिंह की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी के बीट मुख्य आरक्षी ऊधम सिंह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट मुख्य आरक्षी ऊधम सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर *

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना पट्टी के मुख्य आरक्षी ऊधम सिंह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना पट्टी पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सराय मधई के पास से गैंगस्टर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट मुख्य आरक्षी ऊधम सिंह के सहयोग से थाना पट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-120/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त गैंगलीडर बफाती पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम सराय मधई थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उम्र 52 वर्ष को आज दिनांक 30.04.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत सराय मधई के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गैंगलीडर बफाती पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम सराय मधई थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र 52 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 165/2023 धारा 3/5(A)(VII)/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम थाना पट्टी प्रतापगढ़।

थाना पट्टी-

बीट मुख्य आरक्षी विनोद सिंह की सतर्कता से 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी के बीट मुख्य आरक्षी विनोद सिंह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

बीट मुख्य आरक्षी विनोद सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना पट्टी के मुख्य आरक्षी विनोद सिंह को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र

थाना पट्टी पुलिस द्वारा थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदेवरा के पास से गैंगस्टर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त हत्या, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर बीट मुख्य आरक्षी विनोद सिंह के सहयोग से थाना पट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-121/25 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वांछित 01 अभियुक्त गैंगलीडर रमाशंकर सिंह पुत्र स्व0 विजयबहादुर सिंह उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम भदेवरा उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को आज दिनांक 30.04.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भदेवरा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गैंगलीडर रमाशंकर सिंह पुत्र स्व0 विजयबहादुर सिंह उम्र करीब 51 वर्ष निवासी ग्राम भदेवरा उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01- मु0अ0सं0 488/2023 धारा 302, 34,341,504 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

02- मु0अ0सं0 200/2018 धारा 143,353,353,341,504 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।